



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D.,
DEHRADUN, UTTARAKHAND



उत्तराखण्ड शासन

Website- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक :— ४०५ /०१ प्रातांक/२३

E-mail : cepwdua@gmail.com

दिनांक ३१—०५—२०२३

"कार्यालय ज्ञाप"

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों/परियोजनाओं एवं अन्य गतिविधियों की सूचना गणमान्य व्यक्तियों, आम जनमानस एवं मीडिया तक पहुँचाने तथा लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित समस्याओं के निदान के सम्बन्ध में वार्ता करते हुए सम्बन्धित तक सूचना सुलभता से पहुँचाने के उद्देश्य से विभागीय जन सम्पर्क अधिकारी की नितान्त आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

अतः उक्त क्रियाकलापों के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात श्री ओमपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता (9412988879) एवं श्री नवनीत पाण्डे, अधिशासी अभियन्ता (9997976809) को उन्हें पूर्व आवंटित कार्यों के साथ—साथ विभागीय जन सम्पर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

टॉ—
(इं० डी०के० यादव)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उनके द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता(अधिष्ठान/नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को इन निर्देशों के साथ प्रेषित कि विभागाध्यक्ष कार्यालय के प्रत्येक वर्ग के अधिशासी अभियन्ता उक्त जन सम्पर्क अधिकारियों को सामयिक एवं महत्वपूर्ण सूचना तत्काल उपलब्ध कराएंगे।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, रा०मा०/क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी/अल्मोड़ा को इन निर्देशों के साथ प्रेषित कि क्षेत्रान्तर्गत महत्वपूर्ण एवं सामयिक सूचना जन सम्पर्क अधिकारियों को Whatsapp के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराएंगे।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०,।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/प्रान्तीय/अस्थाई/रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,।
7. अधिशासी अभियन्ता(आई.टी.), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को उक्त सूचना विभागीय बेबसाईट पर प्रमुखता के साथ मुख्यपृष्ठ पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. गार्ड पत्रावली।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
२१/५/२०२३
३१/०५/२०२३